सीएसआईआर- मानव संसाधन विकास समूह सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा नई दिल्ली-110012 भारत

क्र. HRDG/EMR- 1/HRA-Attendance/2023

दिनांक:15.11.2023

सेवा में.

विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों के कुलपति/निदेशक/रजिस्ट्रार/प्रिंसिपल इत्यादि.

विषय: एचआरए दावा /अनुपस्थित दिनों के लिए उपस्थिति - सम्बन्धी ।

प्रिय महोदय/महोदया,

यह देखा गया है कि विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों द्वारा लंबी अविध बीतने के बाद भी सीएसआईआर रिसर्च फेलो के संबंध में अलग से विलंबित एचआरए दावे/अनुपस्थित दिनों के लिए प्रस्तुत किये जा रहे है।

इस बाबतविश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों के सभी संबंधित अधिकारियों से निम्नलिखित पर ध्यान देने का अनुरोध है:

- 1) सभी मेजबान विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों को नए एफएमएस पोर्टल पर निर्धारित प्रोफार्मा में रिसर्च फेलो के संबंध में लंबित एचआरए/अनुपस्थित दिनों के दावों को जमा करने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाता है।
- 2) अनुपस्थित दिनों के दावों के लिए अलग एचआरए/उपस्थिति जमा करते समय, विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों को एक विस्तृत औचित्य देना होगा कि एचआरए/वजीफा दावा बिल जमा करने के समय इसका दावा क्यों नहीं किया गया था और ये दावे अलग से क्यों प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यह औचित्य अलग से विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों रिजस्ट्रार/प्रशासनिक प्रमखों के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।
- 3) उन्हें दावों के साथ संबंधित विश्वविद्यालयों/संस्थानों के छात्रावास/आवास प्रभारी से प्रमाण पत्र के रूप में उस अविध के संबंध में रिसर्च फेलो के निवास का विवरण भी प्रदान करना होगा जिसके लिए अलग-अलग एचआरए दावे प्रस्तुत किए गए हैं।
- 4) इस प्रकार प्राप्त दावों की जांच सम्बंधित नियमों/निर्देशों के अनुसार की जाएगी और भुगतान के लिए तभी प्रोसेस किया जाएगा जब वे नियमों/निर्देशों के अनुसार स्वीकार्य होंगे।
- 5) मार्च 2023 के बाद की फेलोशिप के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले अलग-अलग एचआरए/अनुपस्थित दिनों के दावों के संबंध में, वर्तमान दिशानिर्देशों में किए गए प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और सीएसआईआर एचआरडीजी द्वारा ऐसे किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

सभी संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए नोट करें। यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(संघमित्रा रॉय) अनुभाग अधिकारी (ईएमआर I)

प्रतिलिपि:

- 1. सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों के कुलपति/निदेशक/प्रिंसिपल/रजिस्ट्रार
- 2. वरिष्ठ उप वित्तीय सलाहकार, ईएमआर वित्त
- 3. उप वित्तीय सलाहकार, ईएमआर वित्त
- 4. वित्त एवं लेखा अधिकारी, ईएमआर फाइनेंस
- 5. डॉ. मनीष भारद्वाज, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख, आईटी ---- इस नोटिस को सीएसआईआर एचआरडीजी वेबसाइट के साथ-साथ नए एफएमएस पोर्टल पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ
- 6. प्रमुख, एचआरडीजी के निजी सचिव

Source URL: https://csirhrdg.res.in/

CSIR- HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT GROUP

CSIR Complex, Library Avenue, Pusa New Delhi-110012 India

No. HRDG/EMR-1/HRA-Attendance/2023

Dated:15.11.2023

To,

The Vice Chancellors/Directors/Registrars/Principals of Universities/Institutes/Colleges etc.

Sub.: HRA claims/Attendance for absent days -reg.

Dear Sir/Madam,

It has been observed that the Universities/Institutes/Colleges have been submitted the belated HRA claims/Attendance for absent days separately in respect of the CSIR Research Fellows after lapse of long duration. All concerned Officials of the Universities/Institutes/Colleges are requested to note the following:

- 1. All the Host Universities/Institutes/Colleges are given 15 days' time to submit the pending HRA/Attendance for absent days claims in respect of the Research Fellows placed there, in the prescribed pro forma on the New FMS portal.
- 2. While submitting the separate HRA/Attendance for absent days claims, the Universities/Institutes/Colleges are required to give a detailed justification as to why it was claimed at the time of submission of stipend claim bills and why these claims are now being submitted separately. This justification must be routed through the Registrars/Administrative Heads of the Universities/Institutes/Colleges.
- 3. They are also required to provide details of the stay of the Research Fellow in respect of the period for which separate HRA Claims are submitted, in the form of a certificate from the Hostel/accommodation in-charge of the concerned Universities/Institutes/Colleges.
- 4. The claims thus received will be examined in accordance with the Rules/Instructions on the subject and will be processed for payment only if they are admissible as per Rules/Instructions.
- 5. In respect of the separate HRA/Absent Days Claims being received vis-à-vis the fellowships of March 2023 onwards, the provisions made in the present guidelines will be scrupulously followed and no such claims will be entertained by CSIR HRDG.

All concerned may note for information, guidance and compliance. This issues with the approval of the Competent Authority.

15/11/202

(Sanghamitra Roy) Section Officer (EMR I)

Copy to:

- 1. The Vice Chancellors/Directors/Principals/Registrars of all Universities/Institutes/Colleges
- 2. Sr. Deputy Financial Adviser, EMR Finance
- 3. Deputy Financial Adviser, EMR Finance
- 4. Finance & Accounts Officer, EMR Finance
- 5. Dr. Manish Bhardwaj, Sr. Principal Scientist & Head, IT ---- With a request to upload this Notice on the CSIR HRDG website as well as on the New FMS portal
- 6. PS to Head, HRDG

Source URL: https://csirhrdg.res.in/